



क्रमांक/शि.शि./डी.एल.एड./प्रवेश/2025-26 2901 रायपुर दिनांक 03/09/25

शुद्धि पत्र

डी.एल.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आनलाइन आंबटन प्रक्रिया 2025 के लिए परिषद द्वारा दिनांक 25.08.2025 को जारी विस्तृत दिशा निर्देश के कंडिका 2.1(II) में 01 जुलाई 2025 के स्थान पर टंकन त्रुटी के कारण 1 जुलाई 2024 अंकित हो गया है। जबकि छत्तीसगढ़ के राजपत्र में छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 31 अगस्त 2008 को प्रकाशित छ.ग. डी.एड. प्रवेश नियम 2007 के कंडिका 3(ग) के अनुसार आयु की गणना प्री.डी.एड. परीक्षा वर्ष के 1 जुलाई की स्थिति में किया जाना है।

अतः परिषद् द्वारा जारी दिशा निर्देश के कंडिका 2.1(II) में अंकित 1 जुलाई 2024 को शासन के राजपत्र के अनुसार 1 जुलाई 2025 पढ़ा जाय।

(हेमन्त कुमार साव)

प्रकोष्ठ प्रभारी

शिक्षक शिक्षा

एस.सी.ई.आर.टी., छ.ग., रायपुर